

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 675 सन 2022

अनवान :-

1. रामदास पुत्र नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. सुरस्ती पत्नी नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र पुत्र नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
3. विजय पुत्र नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
4. गुडडी पुत्री नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
5. राजबाला उर्फ राजदेवी पुत्री नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
6. शारदा पुत्री नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
7. कृष्णा पुत्री नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
8. विनोद पुत्र नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
9. बजरगदास पुत्र गुलाबदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
10. प्रमेश्वरी पत्नी ओमप्रकाश पुत्र गुलाब जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
11. कृष्ण कुमार पुत्र ओमप्रकाश पुत्र गुलाब जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
12. धन्नाराम पुत्र ओमप्रकाश पुत्र गुलाब जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
13. ललीता पत्नी सतवीर पुत्र ओमप्रकाश पुत्र गुलाबदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
14. लोकेश पुत्र सतवीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता ललीता पत्नी सतवीर जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
15. रविना पुत्री सतवीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता ललीता पत्नी सतवीर जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
16. किस्तुरी पत्नी गुलाबदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
17. धापा पुत्री गुलाबदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
18. कमा पुत्री गुलाबदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
19. ज्याना पुत्री गुलाबदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
20. भागवन्ती पुत्री गुलाबदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
21. लिछमा पुत्री गुलाबदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
22. गिरधारी पुत्री सरबती पुत्री गुलाबदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 25/08/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा खूर्ईया के खाता संख्या 67/64 की कुल 3.7190 हैक् व रोही मौजा खूर्ईया के खाता संख्या 57/53 की कुल 19.8430 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 एव मृतक गुलाबदास, सतवीर के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज जीवनदास के नाम से दर्ज थी जिसके दोहान्त होने पर विरास्तन से उनके दोनो पुत्र नागरदास एव गुलाबदास के नाम से दर्ज हुई दोनो का देहान्त हो चुका है नागरदास के देहान्त होने पर उसके पुत्र/पुत्रीया उसके वारिसान के नाम भूमि दर्ज हो चुकी है तथा गुलाबदास एव उसके पुत्र ओमप्रकाश एव उसके पुत्र सतवीर का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है अर्थात सजरा खानदान के अनुसार वाद भूमि नागरदास के देहान्त होने पर उसके पुत्र/पुत्रीया विरास्तन से हकदार है जिनके नाम भूमि दर्ज है तथा गुलाबदास एव उसके पुत्र ओमप्रकाश एव उसके पुत्र सतवीर के देहान्त होने पर वाद भूमि उसके वारिसान के हक हिस्सा की भूमि है अतः

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 16 ता 25 वादी की बहने/बुआ है एवं गुलाबदास की पुत्री/पौत्री है प्रतिवादी संख्या 16 ता 25 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 16 ता 25 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 व मृतक गुलाबदास, ओमप्रकाश, सतवीर के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज जीवनदास एव नागरदास के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है तथा वर्तमान में गुलाबदास एव उसके पुत्र ओमप्रकाश एव उसके पुत्र सतवीर का देहान्त हो चुका है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 22 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 16 ता 22 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/भतिजों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 23 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा खूर्ईया के खाता संख्या 67/64 की कुल 3.7190 हैक व रोही मौजा खूर्ईया के खाता संख्या 57/53 की कुल 19.8430 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 एव मृतक गुलाबदास, सतवीर के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज जीवनदास के नाम से दर्ज थी जिसके दोहान्त होने पर विरास्तन से उनके दोनो पुत्र नागरदास एव गुलाबदास के नाम से दर्ज हुई दोनो का देहान्त हो चुका है नागरदास के देहान्त होने पर उसके पुत्र/पुत्रीया उसके वारिसान के नाम भूमि दर्ज हो चुकी है तथा गुलाबदास एव उसके पुत्र ओमप्रकाश एव उसके पुत्र सतवीर का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है अर्थात सजरा खानदान के अनुसार वाद भूमि नागरदास के देहान्त होने पर उसके पुत्र/पुत्रीया विरास्तन से हकदार है जिनके नाम भूमि दर्ज है तथा गुलाबदास एव उसके पुत्र ओमप्रकाश एव उसके पुत्र सतवीर के देहान्त होने पर वाद भूमि उसके वारिसान के हक हिस्सा की भूमि है अतः वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है

उपसहायिका (राजस्व)
लोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादी संख्या 16 ता 25 वादी की बहने/बुआ है एवं गुलाबदास की पुत्री/पौत्री है प्रतिवादी संख्या 16 ता 25 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 16 ता 25 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खूर्ईया के खाता संख्या 67/64 की कुल 3.7190 है व रोही मौजा खूर्ईया के खाता संख्या 57/53 की कुल 19.8430 है व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 एव मृतक गुलाबदास , सतवीर के नाम से मुशतरका खाते में दर्ज है

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज जीवनदास के नाम से दर्ज थी जीवनदास के देहान्त होने पर उसके दो पुत्रों नागरदास एव गुलाबदास पर औद हुई नागरदास के देहान्त होने पर उसके वारिसान पुत्र/पुत्रीयो पर भूमि औद हुई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है गुलाबदास का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है गुलाबदास के एक पुत्र ओमप्रकाश एव उसके पुत्र सतवीर का देहान्त हो चुका है इसलिये उसके हक हिस्सा की भूमि के हकदार उसके वारिस उसके पुत्र/पुत्रीया है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 16 ता 22 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 16 ता 22 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है


वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 16 ता 22 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खूर्ईया तहसील नोहर के खाता संख्या 67/64 के खसरा नं. 368 की 3.7190 है व भूमि में मृतक गुलाबदास पुत्र जीवनदास व वादी का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि के मिन पूर्व की 1.8595 है व भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व शेष मिन पश्चिम की 1.8595 है व भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज की जाती है व प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 प्रत्येक के 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे व 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 के संयुक्त


उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

रूप से दर्ज की जावे तथा रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 57/53 की कुल 19.8430 है० भूमि में मृतक गुलाबदास पुत्र जीवणदास का नाम कलमजन किया जाकर खसरा नं. 590 की 12.6470 है० भूमि में से मिन पूर्व की 1.0627 है० भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे व मिन पश्चिम की 6.3234 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 प्रत्येक के 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे व 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 के संयुक्त रूप से दर्ज की जावे तथा मिन मध्य कि 5.2609 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे तथा खसरा नं. 37/2 के मिन उत्तर की 0.316 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 प्रत्येक के 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 के संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे तथा मिन दक्षिण की 0.316 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम ब० हि० ब० दर्ज की जावे व खसरा नं. 37/3 के मिन उत्तर की 1.1195 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 प्रत्येक 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे व प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 के संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे व मिन दक्षिण की 1.1195 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे व खसरा नं. 437 की 4.3250 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज की जावे व प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 प्रत्येक के 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 के संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/08/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जौहर (बृहन्मनसगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रामदास पुत्र नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।

वादी

बनाम


- 1 सुरस्ती पत्नी नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र पुत्र नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
3. विजय पुत्र नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
4. गुडडी पुत्री नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
5. राजबाला उर्फ राजूदेवी पुत्री नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर
6. शारदा पुत्री नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
7. कृष्णा पुत्री नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
8. विनोद पुत्र नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
9. बजरगदास पुत्र गुलाबदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
10. प्रमेश्वरी पत्नी ओमप्रकाश पुत्र गुलाब जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
11. कृष्ण कुमार पुत्र ओमप्रकाश पुत्र गुलाब जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर
12. धन्नाराम पुत्र ओमप्रकाश पुत्र गुलाब जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
13. ललीता पत्नी सतवीर पुत्र ओमप्रकाश पुत्र गुलाबदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
14. लोकेश पुत्र सतवीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता ललीता पत्नी सतवीर जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
15. रविना पुत्री सतवीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता ललीता पत्नी सतवीर जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
16. किस्तुरी पत्नी गुलाबदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
17. धापा पुत्री गुलाबदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
18. कमा पुत्री गुलाबदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
19. ज्याना पुत्री गुलाबदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
20. भागवन्ती पुत्री गुलाबदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
21. लिछमा पुत्री गुलाबदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
22. गिरधारी पुत्री सरबती पुत्री गुलाबदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 675 सन 2022 निर्णय दिनांक- 25/08/2022


आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता संख्या 67/64 के खसरा नं. 368 की 3.7190 है0 भूमि में मृतक गुलाबदास पुत्र जीवणदास व वादी का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि के मिन पूर्व की 1. 8595 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व शेष मिन पश्चिम की 1.8595 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज की जाती है व प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 प्रत्येक के 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे व 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 के संयुक्त रूप से दर्ज की जावे तथा रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 57/53 की कुल 19.8430 है0 भूमि में मृतक गुलाबदास पुत्र जीवणदास का


उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उत्तर । वीर चोरी

नाम कलमजन किया जाकर खसरा नं. 590 की 12.6470 है० भूमि में से मिन पूर्वी की 1.0627 है० भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे व मिन पश्चिम की 6.3234 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 प्रत्येक के 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे व 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 के संयुक्त रूप से दर्ज की जावे तथा मिन मध्य कि 5.2609 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे तथा खसरा नं. 37/2 के मिन उत्तर की 0.316 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 प्रत्येक के 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 के संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे तथा मिन दक्षिण की 0.316 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम ब० हि० ब० दर्ज की जावे व खसरा नं. 37/3 के मिन उत्तर की 1.1195 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 प्रत्येक 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे व प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 के संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे व मिन दक्षिण की 1.1195 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे व खसरा नं. 437 की 4.3250 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज की जावे व प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 प्रत्येक के 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 के संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा भूमि का खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/08/2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)